निविदा फार्म–विपणन अनुभाग (तकनीकी बोली)

फार्म संख्या– [ ] निविदा प्रपत्र मूल्यः– ₹ 1000.00 (एक हजार)(समस्त कर सहित)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

संस्था वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

फोटो

1. मार्ग का नाम/वाहन संख्या :– ....

2. निविदादाता का नाम :– ....

3 पिता/पति का नाम :– ....

4. स्थायी पता :– ....

....

5. पत्र व्यवहार का पता :– ....

....

6. दूरभाष संख्या :– ....

7. आधार कार्ड संख्या – ....

8. जी0एस0टी0 नम्बर–..

9. पेन कार्ड नम्बर–..

10–जमा अर्नेस्ट मनी विवरण–बैंक का नाम ....

ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....

नकद जमा धनराशि–.. रसीद संख्या ....दिनांक ....

11. अदेयता प्रमाण–(हाँ/नही)–..

12. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ बिक्री कार्य का अनुभव– हॉ/नही

(**संलग्नक**–आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तें।)

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

पूरा नामः– ....

मोबाईल नम्बर–..

.

फार्म संख्या– ,

निविदा फार्म–विपणन अनुभाग (वित्तिय बोली)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

संस्था वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम/वाहन संख्या :– ....

2. निविदादाता का नाम :– ....

4. पिता/पति का नाम :– ....

5. स्थायी पता :– ....

....

6. (अ)संस्था वाहन के किराये की दरें दूध प्रति लीटर कमीशन (अंको व शब्दों में):–

अंकों में :– ₹.. शब्दों में :– ....

संलग्नक–आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्ते।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

पूरा नामः– ....

मोबाईल नम्बर–..

आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्ते

1. यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईट **www.ucdfaanchal.org** से डाउनलोड निविदा फार्म की जमा धनराशि ₹1000.00 की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में "संस्था वाहन हेतु निविदा", "मार्ग का नाम" एवं "निविदादाता का नाम" व "पता" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
3. निविदा, प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के नाम से निविदा पेटी के माध्यम से दिनाँक 09.09.2026 को अपराह्न 01.00 **बजे** तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनाँक 09.09.2026को अपराह्न 01.30 **बजे** उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेंगी। डाक वितरण में विलम्बं से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
4. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
5. निविदा फार्म की वित्तिय बिड में ओवर राईटिंग अस्वीकार्य नही होगी। यदि विषेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों मे किसी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नही होगी।
6. प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। छोटे वाहन 2.5 टन तक ₹5000 (पांच हजार) रूपया एवं 2.5 टन से उपर ₹10,000 (दस हजार) रूपया बतौर अर्नेस्ट मनी नकद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। चैक, एफ.डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेंगी
8. निविदा फार्म में स्व–हस्ताक्षरित रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
9. निविदा फार्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रति, अदेयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता अथवा उनके पारिवारिक सदस्य के बकाया होने की स्थिति में निविदा हेतु अर्नह होगा। निविदादाता द्वारा स्वंय अथवा पारिवारिक सदस्य के बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र सलंग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता अथवा उनके ऐसे पारिवारिक सदस्य की निविदा अर्नह होगी जो कि आर्थिक रूप से बकायेदार पर निर्भर है, या उसके व्यापार मे भागीदार है पति, पत्नी(यदि तलाक नही हुआ है), आश्रित बच्चे पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री, माता पिता (जो कि बकायेदार सदस्य पर निर्भर है या बकायेदार उन पर निर्भर हो) या बकायेदार फर्म का मुख्य नियन्त्रक हो।
11. संस्था के विपणन अनुभाग के पूर्व/वर्तमान परिवहनकताओं को निविदा प्रपत्र के साथ प्रभारी विपणन एवं प्रभारी वित्त से संतोषजनक कार्य प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा बैंक खाते नम्बर की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी।
13. निविदादाता को कैश कलेक्शन प्रति हजार पर रू 3.00(तीन) मासिक रूप से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की धनराशि पूर्ण जमा किये जाने पर ही देय होगी, माह अन्त में बकाया होने पर कैश कलैक्शन देय नही होगा।

14. निविदादाता को वाहन के संचालन हेतु डीजल एवं लोडर चार्ज स्वंय वहन करना होगा। जिस मार्ग पर आंचल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन मार्गों पर कार्यरत निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये आंचल दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार में तद्तिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, इस हेतु निविदादाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा, तथा किसी भी परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की बिक्री की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही (आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं वाहन हटाने) का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. निविदादाता के नाम भेजे जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमत की वसूली का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा। ड्राईवर एवं लोडर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। बिक्री किए गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की धनराशि की शत्–प्रतिशत वसूली का दायित्व निविदादाता (परिवहनकर्ता) का होगा तथा इस हेतु वह वैधानिक रूप से भी उत्तरदायी होगा।
16. निविदादाता को पैक्ड आंचल दूध एवं दुग्ध उत्पाद कमीशन एजेंट दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
17. संस्था वाहनों पर लगने वाले टौल टैक्स का भुगतान संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
18. निविदादाता द्वारा संस्था के वाहन में आँचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य कोई सामान संस्था की बिना अनुमति के ढुलान नही किया जायेगा।
19. निविदादाता को संस्था से अनुबंध के समय 02 गारंटर भी उपलब्ध कराने होंगे, जोकि परिवहनकर्ता के उत्तरदायित्वेा के पूर्ण रूप से जमानती होगें।
20. संस्था द्वारा वाहन की सर्विसिंग, टैक्स, बीमा, फिटनेस एवं टायर का कार्य किया जायेगा एवं क्रमांक–01, 02, 03 में ₹3,000.00 तक का रिपेयरिंग/मरम्मत का व्यय निविदादाता द्वारा प्रतिमाह स्वयं वहन किया जायेगा।
21. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन होगा।
22. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के वारदाना (केन अथवा क्रेट) को एक/दोनों पालियों में पूर्ण रूप से वापस करने का दायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दशा में कटौती मासिक रूप से सम्बन्धित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तद्उपरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।
23. यह कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दुग्धशाला में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी।
24. प्रत्येक वाहन के लिये चालक/परिचालक की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी, तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।
25. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को जमानत धनराशि संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ मु0100 (एक सौ)रू0 मूल्य के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
26. अनुबंध की अवधि 01 (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरांत संस्था अनुबन्ध की अवधि तीन माह हेतु दो बार बढ़ायी जा सकती है, निविदादाता का कार्य सन्तोषजनक होने एवं बकायेदार न होने तथा दुग्ध बिक्री में विगत वर्ष के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक बिक्री होने की दशा में अनुबन्ध एक वर्ष हेतु वर्तमान स्वीकृत निविदा दरो पर बढाया जा सकता है।
27. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ (चालक एवं परिचालक) का ई.पी.एफ. नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसका उत्तदायित्व संस्था का नहीं होगा।

28. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक एवं परिचालक द्वारा मादक पदार्थो के सेवन कर वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर 05 वर्ष हेतु संस्था से पृथक कर दिया जायेगा।
29. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
30. संस्था को बिना कारण बताये, **15 दिन** के नोटिस उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, चोरी करने एवं दूध में मिलावट करने अथवा निविदा शर्तो का उल्लघंन करने पर संस्था को तत्काल निविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
31. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत दो दिन के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की कीमत के बराबर **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में नकद जमा करानी होगी।
32. यह कि संस्था में कार्यरत् कर्मचारी अथवा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावल, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के ''परिवार का सदस्य'' की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।
33. यदि निविदा कार्यकाल के दौरान शासन द्वारा डीजल की दरों में कमी/वेशी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में 10 किमी प्रति लीटर की दर से वाहनों की दरों का आंकलन कर कमी/वेशी की जायेगी।
34. निविदादाता को संस्था के वाहनों की साफ–सफाई रखनी होगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदा दाता का होगा, वाहन एवं टैन्क गन्दे पाये जाने पर सम्बन्धित की निविदा समाप्त कर दी जायेगी।
35. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मो को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019–शासनादेश सं0 1542/VII-3-19/143–उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तो के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा ।
36. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित होगा।
37. किसी भी प्रकार के विवाद में निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

नोट–उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तो को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

<u>निविदादाता की घोषणा</u>

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक दिषा निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि–भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार संस्था वाहन के संचालन हेतु ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के साथ अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूॅ। उपयुक्त पृविष्टियॉ मैने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

नामः– ....

पिता का नाम..

संस्था ए0टी0एम0 वाहन का विवरण

क्र सं	मार्ग का नाम	पाली	वाहन का प्रकार	न्यूनतम् वाहन क्षमता (टन में)	मार्ग में दुग्ध बिक्री प्रतिदिन (ली0 में)	जमानत धनराशि (Rs)	अधिकतम् दुग्ध कमीशन दर प्रति लीटर (Rs)
01	बाजपुर लोकल	प्रातः	मूवेबल मिल्क वैंडिग मशीन	0.565	500-600	50,000	2.20

विपणन मार्ग का अनुमानित रोडमैप

क्र.सं	मार्ग का नाम	विपणन मार्गो का अनुमानित रोडमैप
01	बाजपुर–लोकल	अवशीतन केन्द्र बाजपुर दोराहा से महेशपुरा, बिजली घर, बाजपुर लोकल, चकरपुर, बंगाली डाक्टर कालौनी, फैक्ट्री रोड, चुना भटटी, सैन्टमैरी हॉस्पिटल, मुढियाकला, मुढियापिस्तौर, आलापुर, बेरिया रोड, मझराप्रभू, रामराज रोड, पहाडी कालौनी, संजय कालौनी, सुभाषनगर, सुगर फैक्ट्री, सूत कालौनी से वापस बाजपुर दोराहा।

नोट– उपरोक्त रोडमैप अनुमानित है जो संस्था की आवश्कतानुसार घटाया या बढ़ाया या बदला जा सकता है। संस्था द्वारा संस्था हित में लिया गया निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।